

अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग (भ./स.)
उपसंभाग मैहर

विधानसभा
याचिका क0 122

विषय:- मैहर जिले के डेल्हा करइया मुख्य मार्ग को कैमोर पहाड़ की तराई से होते हुये
अमरपाटन रामनगर मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में (याचिका क0 122)।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 181/कार्य/2024-25 मैहर दिनांक 05.07.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें आपके द्वारा प्रथम
स्तरीय प्राक्कलन में मार्ग की कुल लम्बाई 12.00 कि.मी. में से चैनेज क्रमांक 8200 के बाद मार्ग का
एकरेखण वन क्षेत्रान्तर्गत पड़ती है। आपके द्वारा वन विभाग से सम्पर्क नहीं किया गया और न ही प्रथम
स्तरीय प्राक्कलन में वनीकरण की राशि सम्मिलित नहीं किया गया है। जिससे भविष्य में उक्त कार्य
स्वीकृत हो जाने से आपके उपसंभाग अन्तर्गत ऐसे तीन कार्य होंगे जो वन विभाग से अनुमति प्राप्त न
होने की स्थिति में कार्य सम्पादन न हो सकेगा। आपके द्वारा उक्त विधानसभा याचिका 02 माह समय
व्यतीत होने के बावजूद भी अधूरा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित नहीं
किया जा सका। जिसके कारण वरिष्ठ कार्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है, जो खेद का विषय
है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप वन विभाग से सम्पर्क स्थापित कर
वनीकरण की राशि प्रथम स्तरीय प्राक्कलन में सम्मिलित करते हुये यथाशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित
करें, जिससे उक्त प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सकें। अन्यथा की स्थिति में आप
स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सहपत्र:- प्राप्त प्रास्तव मूलतः 03 पेज।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग सतना (म0प्र0)

पृ. क्रमांक 2137/कार्य/4-92/विधानसभा याचिका/2024-25 सतना, दिनांक-11/07/2024
प्रतिलिपि:-

- माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी, सदस्य म0प्र0 विधानसभा की ओर सादर सूचनार्थ
सम्प्रेषित है।
- मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रीवा परिक्षेत्र रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- अधीक्षक यंत्री, लोक निर्माण विभाग रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग सतना (म.प्र.)